(दिल्ली राजपत्र भाग—चार असाधारण में प्रकाशनार्थ)
महिला एवं बाल विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
(महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ)
पं0 रवि शंकर शुक्ला लेन, क. गॉ. मार्ग, नई दिल्ली

प्र636-65.3 सं. फा. 60(198)/डीडब्लयूसीडी/एडीडब्यलयूईसी/एलसीसी/2014-15 दिनांक 1,7 FEB 🗘

अधिसूचना

सं. फा. 60(198) / डीडब्लयूसीडी / एडीडब्यलयूईसी / एलसीसी / 2014—15 — राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिक उत्पीडन(निवारण, प्रतिषेध, एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) की धारा 5 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक जिले के जिला मैंजिस्ट्रेट को "जिला अधिकारी" के रूप में मनोंनीत किया जाता है जो इस अधिनियम द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं निर्धारित कार्यों का निर्वहन करेगा।

प्रत्येक जिले में जिला अधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 06 के तहत "स्थानीय शिकायत समिति" का गठन करेगा जो लैंगिक उत्पीडन की उन शिकायतों को प्राप्त करेगी जहाँ 10 कर्मचारियों से कम होने के कारण "आन्तरिक शिकायत समिति" का गठन नहीं किया गया है अथवा अगर शिकायत स्वयं नियोक्ता के विरुद्ध हो।

जिला अधिकारी शिकायतों को प्राप्त करने और सात दिवस की अवधि के अर्न्तगत सम्बन्धित स्थानीय शिकायत समिति को अग्रेषित करने के लिए प्रत्येक वार्ड/नगर पालिका मे एक नोडल अधिकारी नामित करेगा।

स्थानीय शिकायत समिति का अधिकार क्षेत्र जिले के क्षेत्र तक ही विस्तृत होगा जहाँ उसे गठित किया गया है।

जिला अधिकारी उक्त अधिनियम के अनुसार सभी कार्यों व शक्तियों का निर्वहन करेगें।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के नाम एवं आदेश से

-निर्देशक परिच्या पूर्व तथा विकास

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:-

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राजपुर रोड़, दिल्ली।

सचिव, अध्यक्ष विधानसभा, विधानसभा बिल्डिंग, दिल्ली।

3. सचिव, मुख्यमंत्री, दूसरा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी०एस्टेट, नई दिल्ली।

सचिव, उपाध्यक्ष दिल्ली विधानसभा, विधानसभा बिल्डिंग, दिल्ली।

5. सचिव, समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई०पी०एस्टेट, नई दिल्ली।

- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली 6. सचिवालय, आई०पी०एस्टेट, नई दिल्ली।
- सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई०पी०एस्टेट, नई 7.
- सचिव, उद्योग मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई०पी०एस्टेट, नई दिल्ली।
- सचिव, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई०पी०एस्टेट, नई दिल्ली।
- सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई०पी०एस्टेट, नई दिल्ली।
- सचिव, विधि,न्याय एवं विधायी कार्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई०पी०एस्टेट, नई दिल्ली।
- सिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,जीएलएनएस 12. कॉम्पलैक्स दिल्ली गेट, दिल्ली।
- अध्यक्षे, दिल्ली महिला आयोग, द्वितीय तल, सी-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली.
- सदस्य सचिव , दिल्ली महिला आयोग, द्वितीय तल, सी-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी.इस्टेट, नई
- विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली किस्ट्रेंट सभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार.
- उप-सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, नई दिल्ली।
- उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सचिवालय अंग्रेजी एवं हिन्दी की प्रतियां) को दिल्ली राजपत्र भाग-चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।

महिला एवं बार्ल विकास विभाग

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY) DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT GOVT. OF NCT OF DELHI (WOMEN EMPOWERMENT CELL) Pt. RAVI SHANKAR SHUKLA LANE, K.G. MARG, NEW DELHI

No.60(198)/DWCD/ADWEC/LCC/2014-15 46636-653 Dated .1.7. F.E B02016

ORDER

No.60(198)/DWCD/ADWEC/LCC/2014-15 .--In exercise of the powers conferred by section 5 of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) Act, 2013 (No. 14 of 2013), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby nominates the District Magistrate of every District as "District Officer" to exercise the powers and discharge the functions under this Act in the National Capital Territory of Delhi.

The "District Officer" of every district shall constitute "Local Complaint Committee" under section 06 of the said Act to receive complaints of sexual harassment from establishment where the "Internal Complaint Committee" has not been constituted due to having less than ten workers or if complaint is against the employer himself.

The District Officer shall designate one nodal officer in every ward/ municipality to receive complaints and forward the same to the concerned Local Complaint Committee within a period of seven days.

The jurisdiction of Local Complaint Committee shall extend to the areas of the district where it is constituted.

The District Officer will discharge all the functions and powers in accordance with the Act.

By the order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi

Director (KAUR)

Department of Women & Child Development

No.60(198)/DWCD/ADWEC/LCC/2014-1546636-653 Dated 17 FEB 2016

Copy to:-

- 1. The Principal Secretary to Lt. Governor, L.G. House, Rajpur Road, Delhi.
- 2. Secretary to the Speaker of Vidhan Sabha, Vidhan Sabha Building, Delhi.

- 3. Secretary to Chief Minister, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.
- 4. Secretary to Dy. Speaker of Vidhan Sabha, Vidhan Sabha Building, Delhi.
- 5. Secretary to Minister of Women & Child Development and Social Welfare GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.
- 6. Secretary to Minister of Health & Family Welfare, GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.
- 7. Secretary to Minister of Finance, GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.
- 8. Secretary to Minister of Industries, GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, Delhi
- 9. Secretary to Minister of Education, Training & Tech. Education, GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, Delhi.
- Secretary to Minister of Food & Civil Supplies, GNCT of Delhi, Delhi Secretariat,
 I.P. Estate, New Delhi
- 11. Secretary to Law, Justice and Legislative Affairs, GNCTD, Delhi Secretariat, I. P. Estate, New Delhi.
- 12. Secretary, Department of Women and Child Development, GNCTD, Delhi Gate Delhi.
- 13. The Chairperson, Delhi Commission for Women, 2nd Floor, C-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate, New Delhi.
- 14. Member Secretary, Delhi Commission for Women, 2nd Floor, C-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate, New Delhi.
- 15. OSD to Chief Secretary of Delhi, GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, Delhi.
- 16. All District Magistrate, Govt. of NCT of Delhi.
- 17. Dy. Secretary to Govt. of India, M/o Women & Child Development, Jeevan Deep Building, New Delhi.
- 18. Dy. Secretary, G.A.D. Delhi Secretariat, Delhi for publication in Part IV of Delhi Gazette Extraordinary.

SILRAJ KAUR)

Department of Women & Child Development